राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid day Meal Scheme

क्रमांकःएफ 5(7) प्रा.शि./एमडीएम/आरसीडीएफ /2017–18/ 175 जयपुर, दिनांक : 22.5.18

1. निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान, बीकानेर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर।
3. आयुक्त,राप्राशिप.,जयपुर।
4. परियोजना निदेशक,रामाशिप, जयपुर ।
5. निदेशक, संस्कृत शिक्षा,जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर।
7. सचिव, शिक्षाकर्मी बोर्ड, जयपुर।

विषयः– मिड डे मील योजनान्तर्गत **"अन्नपूर्णा दूध योजना"**को लागु किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

माननीया मुख्यमंत्री महोदया ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट अभिभाषण में मिड डे मील योजनान्तर्गत समस्त राजकीय प्राथमिक विद्यालय /उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को सप्ताह में तीन बार दूध पोषाहार उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। इस बजट घोषणा के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश **परिशिष्ट "1"** पर संलग्न है। इन दिशा निर्देशों के अनुसार 02.07.2018 से योजना का क्रियान्वयन करवाया जाना सुनिश्चित कराया जावे।

यह दिशा–निर्देश वित्त विभाग की आई डी संख्या 101802824 एवं योजना विभाग की आईडी संख्या 60 /प्लान/एमपी /21.05.2018 की सहमति से जारी किये जाते है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

21/5/2018

(नरेश पाल गंगवार)
प्रमुख शासन सचिव
स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग

C:\Users\lenovo\Desktop\Covring letter.docx

क्रमांकःएफ 5(7) प्रा.शि./एमडीएम/आरसीडीएफ /2017–18/ 125 जयपुर, दिनांक : 22.5.18

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 प्रमुख शासन सचिव,मुख्यमंत्री कार्यालय,राजस्थान सरकार, जयपुर।
2 निजी सचिव,मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार जयपुर।
3 विशिष्ठ सहायक, शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान, जयपुर।
4 विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव समस्त मंत्री /राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार।
5 उप सचिव,मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6 निजी सचिव,अति. मुख्य सचिव, (वित्त) राजस्थान सरकार, जयपुर।
7 निजी सचिव,अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजस्थान,जयपुर।
8 निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
9 सम्भागीय आयुक्त (समस्त)।
10 विभागाध्यक्ष,(समस्त) राजस्थान।
11 जिला कलक्टर, समस्त।
12 निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,राजस्थान, जयपुर।
13 प्रबन्ध निदेशक,राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, जयपुर।
14 निदेशक,(एमडीएम) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग,शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
15 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,/अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिला परिषद (समस्त)।
16 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जिला,समस्त
17 उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा (समस्त)।
18 जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक (समस्त)।
19 अति. आयुक्त (वित्त), मिड डे मील, जयपुर।
20 उपायुक्त (क्रि.मो.) मिड डे मील , जयपुर।
21 उपखण्ड अधिकारी (समस्त)
22 ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (समस्त)
23 पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी PEEO(समस्त)
24 प्रबन्धक, अक्षयपात्र फाउण्डेशन, जयपुर।
25 प्रबन्धक, अदम्य चेतना ट्रस्ट, जोधपुर।
26 प्रबन्धक,अन्नामृत फाउण्डेशन, जयपुर।
27 प्रबन्धक, क्यूआरजी फाउण्डेशन,अलवर।
28 समस्त संचालक, अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति।
29 प्रभारी आईटी सैल कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड एवं समस्त के ई–मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
30 रक्षित पत्रावली।

आयुक्त
मिड डे मील

C:\Users\lenovo\Desktop\Covring letter.docx

परिशिष्ट "1 "

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय

मिड डे मील योजना

(Mid Day Meal Scheme)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid day Meal Scheme

मिड डे मील योजनान्तर्गत "अन्नपूर्णा दूध योजना" के लिए आवश्यक दिशा निर्देश

1. **प्रस्तावना**

1.1 वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा की गयी बजट घोषणा अनुसार मिड डे मील योजनान्तर्गत राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयो के विधार्थियों को सप्ताह में **तीन बार दूध पोषाहार** उपलब्ध करवाया जाना है। इस योजना का संचालन प्राथमिकता से पंचायत क्षेत्र के **पंजीकृत महिला दुग्ध समितियों** के माध्यम से किया जाना है।

1.2 मिड डे मील योजनान्तर्गत "**अन्नपूर्णा दूध योजना**" को प्रारम्भ करने का प्रमुख उद्देश्य राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के नामांकन, उपस्थिति में वृद्धि, ड्रॉप आउट को रोकना एवं पोषण स्तर में वृद्धि व आवश्यक मेक्रो व माइक्रों न्यूट्रिएन्ट्स उपलब्ध करवाया जाना है।

2. **पात्रता**

मिड डे मील योजना से वर्तमान में लाभान्वित समस्त राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयो, मदरसों, स्पेशल ट्रेनिंग सेन्टर्स में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के छात्र/छात्राओ को सप्ताह में तीन दिन उच्च गुणवत्ता पूर्ण, गर्म ताजा दूध उपलब्ध करवाया जायेगा।

3. **योजनान्तर्गत दूध की मात्रा**

कक्षा 1 से 8 तक के छात्र/ छात्राओ को दूध निम्न मात्रा के अनुसार उपलब्ध करवाया जायेगाः–

क्रम संख्या	कक्षा स्तर	दूध की मात्रा (प्रति छात्र प्रति दिन)
1	प्राथमिक (कक्षा 1 से 5)	150 ml
2	उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8)	200 ml

4. योजना का संचालन

4.1 मिड डे मील योजना से वर्तमान मे लाभान्वित समस्त राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयो, मदरसों, स्पेशल ट्रेनिंग सेन्टर्स में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के छात्र/छात्राओ को सप्ताह में तीन दिन उच्च गुणवत्ता पूर्ण, गर्म ताजा दूध **दिनांक 02.07.2018** से उपलब्ध करवाया जायेगा।

4.2 दूध की उपलब्धता के स्त्रोत

(a) ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में "शाला प्रबंधन समिति" द्वारा उच्च गुणवत्तापूर्ण ताजा दूध का क्रय प्राथमिकता से पंचायत क्षेत्र में स्थित पंजीकृत महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से किया जावेगा। ग्राम पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति उपलब्ध न होने अथवा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के पास दूध की पर्याप्त उपलब्धता न होने की स्थिति में ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थिति निम्नलिखित संस्थाओं में से वरीयता क्रम में दूध क्रय किया जा सकेगा :–

i. **अन्य पंजीकृत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति**
ii. **महिला स्वयं सहायता समूह**
iii. **अन्य स्वयं सहायता समूह**
iv. **विकल्प i , ii व iii के अतिरिक्त अन्य स्त्रोत**

किसी एक स्त्रोत से दूध की आवश्यकतानुसार पूर्ण मात्रा उपलब्ध न होने पर एक से अधिक स्त्रोत से दूध क्रय किया जा सकेगा।

(b) शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में **SMC/NGO /CSO /AMSS** द्वारा उच्च गुणवत्तापूर्ण पाश्च्यूरीकृत टोंड मिल्क **"सरस डेयरी बूथ"** से क्रय किया जावेगा।

4.3 प्रत्येक विद्यालय में निम्नानुसार विद्यार्थियों को तीन दिवस गर्म ताजा दूध उपलब्ध करवाया जायेगाः–

1. **शहरी क्षेत्र**
   सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार
2. **ग्रामीण क्षेत्र**
   (क) सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार
   अथवा
   (ख) मंगलवार, गुरूवार एवं शनिवार

सम्बंधित पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) द्वारा दूध वितरण हेतु विद्यालयवार दिवसों का निर्धारण **(सोमवार, बुधवार , शुक्रवार** अथवा **मंगलवार, गुरूवार एवं शनिवार)** इस प्रकार से निर्धारित किया जावेगा कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में विद्यालयों में वितरित किये जाने वाले दूध की दैनिक मांग लगभग समान रहे।

4.4 प्रत्येक विद्यालय में छात्र/छात्राओं को दूध **प्रार्थना सभा** के तुरन्त पश्चात् उपलब्ध करवाया जाना होगा।

4.5 मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत छात्र/छात्राओं को उच्च गुणवत्ता पूर्ण, गर्म ताजा दूध उपलब्ध कराये जाने के लिए **SMC/ NGO /CSO /AMSS** उत्तरदायी होंगे।

4.6 योजनान्तर्गत प्रत्येक विद्यालय में **"पोषाहार मेन्यु"** को विद्यालय के मुख्य स्थान पर पेंट से अंकित करवाए जाने के निर्देश दिए हुए है। पोषाहार मेन्यु के अंकन के स्थान के साथ ही दूध उपलब्ध करवाए जाने वाले दिनों का विवरण भी आवश्यक रूप से अंकित किया जायेगा।

4.7 प्रत्येक विद्यालय में निम्न निर्धारित "**अधिकतम**" दरों के अनुसार उच्च गुणवत्ता पूर्ण ताजा दूध का क्रय किया जावेगा :–

क्रम संख्या	कक्षा	दूध क्रय की अधिकतम राशि(रुपये) प्रति छात्र प्रति दिन	
		ग्रामीण@ 35 रु. प्रति लीटर	शहरी@ 40 रु. प्रति लीटर
1	1 से 5	5.25	6
2	6 से 8	7.00	8

उक्त राशि का निर्धारण राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन से प्राप्त वर्तमान एवं गत एक वर्ष की प्रत्येक जिले में दूध क्रय की औसत दरो के आधार पर (शहरी क्षेत्र 40 रू. व ग्रामीण क्षेत्र में 35 रू. प्रति लीटर की दर) किया गया है। मौसम के अनुसार दूध क्रय की दरें परिवर्तित होती रहती है, अतः योजनान्तर्गत दूध क्रय की वास्तविक दर (अधिकतम राशि के अधीन) के अनुसार ही राशि का भुगतान किया जावेगा।

उक्त राशि का पुर्नर्निधारण समय–समय पर आवश्यकतानुसार निम्नानुसार गठित कमेटी की अभिशंषा पर वित्त विभाग की सहमति से किया जावेगा :–

1. आयुक्त, मिड डे मील – **अध्यक्ष**
2. अति. आयुक्त (वित्त) – **सदस्य सचिव**
3. वित्त विभाग का प्रतिनिधि– जो उपशासन सचिव स्तर से नीचे का न हो
4. जनरल मैनेजर (मार्केटिंग), राजस्थान राज्य डेयरी फेडरेशन – सदस्य

5. गुणवत्ता एवं गुणवत्ता का मापन

5.1 क्रय किये गये दूध के प्रति 100 मि.ली. दूध में पोषक तत्वों की न्यूनतम मात्रा निम्नानुसार होना आवश्यक है :–

प्रोटीन –	**3.2 ग्राम**
वसा –	**3.0 ग्राम**
कैलोरी–	**58 Kcal**
कार्बोहाइर्डेट –	**4.6 ग्राम**

5.2 दूध की गुणवत्ता का मापन विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा निम्न प्रकार से सुनिश्चित किया जायेगा :–

i. सर्वप्रथम क्रय किये गये दूध की जॉच लेक्टोमीटर से की जायेगी। लेक्टोमीटर बाजार में केमिकल एवं ग्लासवेयर की दुकान पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है।

ii. विद्यार्थियो को दूध पिलाये जाने से पूर्व प्रतिदिन 1 अध्यापक व 1 विद्यार्थी के अभिभावक/एस.एम.सी. के सदस्य द्वारा पोषाहार की भॉति चखा जायेगा तथा इसका रजिस्टर भी संधारित किया जायेगा।

iii. यह भी सुनिश्चित किया जावे कि क्रय किये गये दूध में यूरिया, स्टॉर्च, या अन्य कोई रसायन नहीं मिला हो। इसको सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा एवं सहकारी डेयरी के अधिकारियों से दूध की गुणवत्ता की जॉच करवाई जानी आवश्यक होगी। सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गुणवत्ता की जॉच हेतु खाद्य सुरक्षा निरीक्षकों को आवश्यक निर्देश जारी करेंगे।

6 अन्नपूर्णा दूध योजना के अंतर्गत अन्य आवश्यक व्यवस्थायें

6.1 **बर्तन** :– दूध वितरण की सुगम व्यवस्था हेतु प्रत्येक विद्यालय को दूध गर्म करने के लिए एक 18 गेज का स्टेनलेस स्टील का भगोना (20लीटर, 30लीटर , 40लीटर) नामांकन के अनुसार, एक 20लीटर की स्टेनलेस स्टील टोंटी युक्त टंकी, एक जग, पलटा एवं अन्य आवश्यक बर्तनों की व्यवस्था नामांकन के अनुसार करनी होगी। उक्त आवश्यक बर्तन क्रय किये जाने हेतु अधिकतम 2500 रुपये आंवटित किये जायेंगे। गिलास क्रय हेतु प्रति विद्यार्थी 20रू. की दर से अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जायेगी। बर्तन, गिलास इत्यादि की खरीद में राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों का ध्यान रखा जावें। जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा/ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी छात्रों के नामांकन के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में बर्तन क्रय हेतु योजनान्तर्गत वर्तमान प्रक्रिया अनुसार ही विद्यालय प्रबंधन समिति के खातो में राशि का हस्तांतरण करेंगे। NGO/AMSS से संबंधित विद्यालयों में विद्यालय स्तर पर ही बर्तन **'विद्यालय प्रबन्ध समिति'** द्वारा क्रय किये जावेगें।

6.2 **गैस व्यवस्था** :– वर्तमान में मिड डे मील योजनान्तर्गत कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट में से ईधन हेतु गैस व्यवस्था हेतु राशि का भुगतान किया जाता है, उक्त मद में ही दूध गर्म करने हेतु ईधन व्यवस्था की जावेगी।

6.3 **कुक कम हेल्पर** :– मिड डे मील योजनान्तर्गत जिन विद्यालयों में पोषाहार विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है, उन विद्यालयों में कुक कम हेल्पर्स द्वारा पोषाहार पकाने के साथ साथ दूध गर्म करने एवं वितरण का कार्य भी किया जावेगा।

7 **विद्यालय प्रबंधन समिति/केन्द्रीकृत रसोई घर/अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति के माध्यम से पोषाहार वितरित किये जाने वाले विद्यालयों में दूध की व्यवस्था**

7.1 **योजनान्तर्गत वर्तमान में निम्न तीन एजेंसियों द्वारा पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है :–**

i. विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC)
ii. केन्द्रीयकृत रसोईघर (NGO/CSO)
iii. अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति (AMSS)

7.2 विद्यालय जिनमें विद्यालय प्रबन्धन समिति की देखरेख में मध्यान्ह भोजन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है उन सभी विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्धन समिति उच्च गुणवत्तापूर्ण गर्म ताजा दूध उपलब्ध कराये जाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाऐं सुनिश्चित करेगी।

7.3 जिन जिलों में केन्द्रीयकृत रसोईघर के माध्यम से पोषाहार वितरण कार्य किया जा रहा है, उन जिलों के संबंधित विद्यालयों में केन्द्रीयकृत रसोईघर संचालक (NGO/CSO) उच्च गुणवत्तापूर्ण गर्म ताजा दूध उपलब्ध कराये जाने के लिए उत्तरदायी होगें।

7.4 विद्यालय जिनमें अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति द्वारा पोषाहार वितरण का कार्य किया जा रहा है उन विद्यालयों में सम्बन्धित अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति अन्नपूर्णा दूध योजना . के प्रभावी क्रियान्वयन एवं सुव्यवस्थित संचालन के लिए उत्तरदायी होंगे।

8. **जन सहभागिता :–" अन्नपूर्णा दूध योजना"** का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाकर समाज के विभिन्न वर्ग, दानदाता एवं भामाशाहों को योजना से जोडा जावे। योजनान्तर्गत समाज के विभिन्न वर्गों, भामाशाहों एवं दानदाताओं द्वारा अपने परिवार में विशेष अवसरों जैसे– विशेष धार्मिक पर्व, शादी, जन्म–दिन, संतान प्राप्ति, मनोकामना पूर्ण होने, धार्मिक यात्रा करने , बच्चों को शिक्षा में सफलता, बच्चों को नौकरी मिलने, शादी की सालगिरह या अन्य किसी क्षेत्र में विशेष प्रगति होने पर स्वेच्छा से विद्यालय में दूध वितरित किया जा सकता है।

9. **"अन्नपूर्णा दूध योजना" के लिए विभिन्न स्तरों पर सहभागियों (STAKE HOLDERS) के उत्तरदायित्व**

i. **राज्य स्तर :– "अन्नपूर्णा दूध योजना"** के प्रभावी व सुव्यवस्थित क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर आयुक्त, मिड डे मील उत्तरदायी होंगे। राज्य स्तर से योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्तमान में पोषाहार कार्यक्रम की भांति ही त्रैमासिक रूप से दूध के क्रय हेतु अग्रिम राशि जिलों को हस्तान्तरित की जायेगी। बर्तन क्रय की राशि (अनावर्ती मद) योजना के प्रारम्भ में जिलों को हस्तान्तरित की जावेगी।

ii. **जिला स्तरः–"अन्नपूर्णा दूध योजना"** के प्रभावी व सुव्यवस्थित क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर सम्बन्धित जिला कलक्टर उत्तरदायी होंगे। जिला स्तर पर मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा एवं संचालन समिति का गठन किया हुआ है उक्त समिति की बैठक का आयोजन प्रतिमाह किया जाता है। यह समिति ही प्रतिमाह **"अन्नपूर्णा दूध योजना"**की समीक्षा करेगी। मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन एवं संचालन के लिए जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा (DEEO), प्रथम (जिले में एक से अधिक जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा होने की स्थिति में) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया हुआ है। **"अन्नपूर्णा दूध योजना"**के लिए भी जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक नोडल अधिकारी होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, पोषाहार योजना के अनुरूप ही **"अन्नपूर्णा दूध योजना"** के लिए क्रियान्वयन एवं संचालन के लिए आवर्ती मद में राशि का हस्तान्तरण SMC /NGO/AMSS के खातों में करेंगे।

iii. **ब्लॉक स्तरः– "अन्नपूर्णा दूध योजना"** के प्रभावी व सुव्यवस्थित क्रियान्वयन के लिए ब्लाक स्तर पर सम्बन्धित ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (BEEO) उत्तरदायी होंगे। ब्लाक स्तर पर मध्यान्ह भोजन योजना के लिए सम्बन्धित ब्लॉक के उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में ब्लाक स्तरीय समीक्षा एवं संचालन समिति का गठन किया हुआ है। जिसकी बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जाती है। उक्त समिति ही **"अन्नपूर्णा दूध योजना"** के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी।

iv. **ग्राम पंचायत स्तरः– "अन्नपूर्णा दूध योजना"** के प्रभावी व सुव्यवस्थित क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर सम्बन्धित पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) उत्तरदायी होंगे।

v. **विद्यालय स्तरः– "अन्नपूर्णा दूध योजना"** के प्रभावी व सुव्यवस्थित क्रियान्वयन के लिए विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रबन्धन समिति उत्तरदायी होगी। विद्यालय प्रबन्धन समिति यह सुनिश्चित करेगी की निर्धारित रोस्टर के अनुरूप निर्धारित दिवसों पर छात्रों को उच्च गुणवत्तापूर्ण ताजा गर्म दूध उपलब्ध हो। छात्रों के नामांकन के अनुसार दूध व बर्तन की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। केन्द्रीयकृत रसोईघर एवं अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति से संबंधित विद्यालयों में दूध वितरण की व्यवस्था NGO/CSO/AMSS द्वारा की जावेगी। **"अन्नपूर्णा दूध योजना"** से सम्बन्धित समस्त लेखों (रिकॉर्ड) का संधारण संलग्न प्रपत्र 1 व 2 में SMC/NGO/AMSS द्वारा किया जावेगा।

10. **भुगतान व्यवस्था :–** SMC/NGO/CSO/AMSS द्वारा क्रय किये गये दूध का भुगतान संबंधित आपूर्तिकर्ता को चैक अथवा बैंक खाते में राशि हस्तान्तरित कर किया जावेगा।

11. अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

i. **"अन्नपूर्णा दूध योजना"** के अन्तर्गत छात्र–छात्राओं को दूध उबालकर ही वितरीत किया जावे।

ii. यह सुनिश्चित किया जावे कि दूध वितरण हेतु आवश्यक बर्तन (भगोना, टंकी, गिलास, आदि) धुले हुए एवं पूर्णतया स्वच्छ हो।

iii. दूध को छानकर ही उपयोग में लिया जावे।

iv. क्रय किया गया दूध छात्रों को पिलाये जाने योग्य नहीं हो, दूध उबालने पर खराब/फटने की स्थिति में इसकी सूचना तुरन्त संबंधित दूध एजेंसी को दी जावे । उक्त दिवस को क्रय किये गये दूध का भुगतान नहीं किया जावे एवं अगले दिन दूध वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

v. दूध वितरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावे कि उसका तापमान कम हो ताकि दूध के छात्रों के शरीर पर गिरने के कारण किसी प्रकार की हानि नहीं हों।

vi. दूध वितरित करते समय किसी अनहोनी घटना , छात्र के जलने अथवा दूध पीने के पश्चात छात्र की तबीयत बिगडने की स्थिति में तुरन्त छात्र को निकटवर्ती स्वास्थ्य केन्द्र पर ले जाकर उचित उपचार करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे। विद्यालय में फर्स्ट एड की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जावे।

vii. जिन विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा दूध वितरण की व्यवस्था की जा रही है उन विद्यालयों में योजना के बाधित होने या अनियमितता पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित विद्यालयों के मिड डे मील प्रभारी/शाला प्रधान एवं पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी उत्तदायी होंगे। उक्त दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

viii. जिन विद्यालयों में एनजीओ/अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति द्वारा दूध वितरण की व्यवस्था की जावेगी, उन विद्यालयों में कार्यक्रम के बाधित होने या अनियमितता पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित एनजीओ/अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति से नियमानुसार वसूली की जावेगी । वसूली के नियम पृथक से जारी किये जायेंगे।

ix. पोषाहार कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत स्तर, ब्लाक स्तर ,एवं जिला स्तर के अधिकारियों के लिए मासिक रूप से निरीक्षण के नियम निर्धारित किये हुये है, इन के अनुरूप ही अन्नपूर्णा दूध योजना का निरीक्षण भी सुनिश्चित किया जावे।

21/5/18

आयुक्त

मिड डे मील

दुग्ध पोषाहार वितरण पंजिका
दुग्ध पोषाहार योजनान्तर्गत लाभान्वितों का विवरण

प्रपत्र–1

नामांकन

कक्षा 1 से 5

कक्षा 6 से 8

योग

माहः–

क्र.सं.	दिनांक	कक्षा 1 से 5 लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या	छात्रों को पिलाये गये दूध की मात्रा (लीटर में)	कक्षा 6 से 8 लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या	छात्रों को पिलाये गये दूध की मात्रा (लीटर में)	वि.वि.
1	2	3	4	5	6	7

दुग्ध पोषाहार स्टॉक पंजिका

प्रपत्र–2

माहः–

क्र.सं.	दिनांक	बिल /ईनवाईस संख्या एवं दिनांक	दूध की दर	क्रय किये गये दूध का मुल्य	क्रय किये गये दूध की मात्रा (लीटर में)	उपभोग में लिये गये दूध की मात्रा (लीटर में)	भुगतान की गई राशि	चैक / आरटीजीएस संख्या एवं दिनांक	प्रभारी के हस्ताक्षर	शाला प्रधान के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11